7/17 श्री पटवारी के द्वारा प्रार्थनापत्र जाँच 23 दिन
[illegible] पंजीकृत प्रस्तुत की गयी।
प्रार्थनापत्र में लिखित किया कि [illegible] राशनकार्ड के
कार्ड को वापिस लेकर नया राशनकार्ड प्रस्तुत करना चाहते हैं
जाँच में [illegible] मालूम हुआ है और कि [illegible] में [illegible]
नहीं है अतः प्रस्तुत कार्ड को वापिस कर नया कार्ड
प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पटवारी की रिपोर्ट [illegible]
एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत
प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत कार्ड को वापिस
लौटाए जाने के आदेश दिए जाते हैं और नया कार्ड पत्र
प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है इस
प्रकरण की कार्यवाही पूरी होकर समाप्त की जाती है पत्रावली
[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
[illegible] (श्री गंगानगर)